Uttarakhand MSME Policy 2015 (Hindi)

(UTTRAKHAND MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISE POLICY-2015)

दिनांक 31–01–2015

1- प्रस्तावना (Introduction)

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र किसी भी राज्य तथा सम्पूर्ण देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र उद्यमिता की नर्सरी है, जो प्रायः व्यक्तिगत रचनात्मकता और सृजनशीलता से प्रेरित रहती है। इस क्षेत्र का देश के सकल घरेलू उत्पाद में 8 प्रतिशत की सहभागिता है, जिसमें से 45 प्रतिशत विनिर्माणक उत्पाद का एवं 40 प्रतिशत इसके निर्यात का है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में 2,60,00,000 उद्यम 6 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। इस क्षेत्र में लगी पूंजी के अनुपात में सृजित रोजगार तथा इसका विस्तार वृहद उद्यमों की तुलना में काफी अधिक है। इस क्षेत्र के उद्यमों का भौगोलिक वितरण और विस्तार भी अधिक है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम स्थानीय संसाधनों एवं कौशल का उपयोग कर कम पूंजी से शुरू किये जा सकते हैं, इसलिये समावेशी विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

उत्तराखण्ड राज्य के सुदूर एवं पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसरों के सृजन तथा क्षेत्र के समन्वित एवं समावेशी विकास के लिये वर्ष 2008 में ''विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2008'' प्रख्यापित की गई है। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े व सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं का विकास कर उद्यमिता को अभिप्रेरित करते हुये उद्योग स्थापना को बढ़ावा देना था, ताकि रोजगार के अवसरों के सृजन के साथ–साथ पर्वतीय क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन दूर कर जनशक्ति के पलायन को रोका जाना सम्भव हो सके। इस नीति में वर्ष 2011 में कतिपय संशोधन भी किये गये हैं।

अब राज्य सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में ''सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति'' लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस नीति में पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों के लिये पूर्व से स्वीकृत नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों एवं सुविधाओं को और भी अधिक आकर्षक बनाया गया है।

यह नीति 31 मार्च, 2020 तक प्रभावी रहेगी। एमएसएमई नीति के प्रभावी होने/अधिसूचना जारी होने की तिथि से पात्र औद्योगिक इकाईयों को उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से अधिकतम 10 वर्ष अथवा 31 मार्च, 2025 तक, जो भी पहले हो, नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों एवं अन्य सुविधाओं का लाभ अनुमन्य होगा।

1.1 आमुख (Preamble):

- उत्तराखण्ड सरकार की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम; खादी एवं ग्रामोद्योग; हथकरघा–हस्तशिल्प क्षेत्र के संवर्द्धन एवं विकास की सर्वोच्च प्राथमिकता है और विभागीय प्रोत्साहन पैकेज, संस्थागत सहयोग तथा निवेश एवं विकास के लिये निवेशोन्मुखी वातावरण सृजित कर दीर्घकालिक एवं समान विकास चरणबद्ध तरीके से संपूर्ण राज्य में किया जायेगा।
- इस क्षेत्र की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न सम्भाव्य स्थलों पर औद्योगिक अवस्थापना विकसित करने के लिये हर सम्भव प्रयास किये जायेंगे। पूरे प्रदेश में 100 औद्योगिक स्थलों का विकास किया जायेगा, जिनमें 70 प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्रों में होंगे।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के संवर्द्धन हेतु स्थानीय उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन एवं कौशल का समुचित दोहन कर भारत सरकार द्वारा संचालित सम्बन्धित योजनाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करने(dovetailing) पर भी जोर दिया जायेगा।

- आगामी 5 वर्षो में इस क्षेत्र में अधिकाधिक रोजगार के अवसर सृजित करते हुए पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम बनाने, कौशल विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं विपणन में सुविधा हेतु प्रभावी उपाय किये जायेंगे।
- राज्य सरकार सम्यक् विचारोपरान्त उत्तराखण्ड राज्य के लिये व्यापक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति शुरू कर रही है, जो तत्सम्बन्धी अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू होगी। यह नीति 10 वर्ष की अवधि के लिये प्रवर्त रहेगी। कोई भी इकाई, जो योजना अवधि के दौरान वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करेगी, वह इस नीति में प्रदत्त सभी लाभों के लिये पात्र होगी।

1.2 दृष्टि (Vision):

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में एक स्थायी और न्यायसंगत व्यवस्था बनाने के लिये स्थानीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित कर इस क्षेत्र का विस्तार करते हुये उत्तराखण्ड के विकास को समावेशी और रोजगारोन्मुखी बनाना है।

1.3 लक्ष्य (Mission):

राज्य सरकार की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति एवं सरकार द्वारा सहायतित एवं सृजित व्यवसायिक वातावरण व सृजनात्मक दृष्टिकोण से राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम का विकास होगा। प्रस्तावित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति द्वारा ऊर्जा दक्षता, उन्नत तकनीक के साथ–साथ कौशल विकास के लिये प्रोत्साहन (Incentives) से औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलेगी। राज्य का सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र गुणवत्ता व लागत के उच्च मानक प्राप्त कर सकेगा। क्लस्टर विकास व क्षेत्रीय सृजनशीलता को प्रोत्साहित कर अतिरिक्त वित्त के प्रवाह एवं अन्य वित्तीय प्रोत्साहनों से इस क्षेत्र का तेजी से विकास हो सकेगा।

इस प्रकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के उत्पादन में 14–15 प्रतिशत की वृद्धि दर अर्जित की जा सकेगी। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र आगामी 5 वर्षों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 3 लाख अतिरिक्त रोजगार का सृजन उत्तराखण्ड राज्य में कर सकेगा।

1.4 उपयुक्त औद्योगिक वातावरण का सृजन:

राज्य सरकार का नीति के माध्यम से निम्न प्रयास होगा:–

1. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए उपयुक्त औद्योगिक वातावरण का सृजन।
2. बैंकों, संबंधित विभागों एवं वित्तीय संस्थानों से समन्वय स्थापित कर राज्य के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में समुचित वित्त प्रवाह (Fund Flow) सुनिश्चित करना।
3. ब्लाक एवं ग्राम स्तर तक सूक्ष्म उद्यमों को प्रोत्साहित करने पर सर्वाधिक बल दिया जाना।
4. एक वर्ष तक सघन अभिप्रेरण अभियान चलाकर अन्य सम्भावित उद्यमों का चिन्हीकरण करना।
5. राज्य के व्यवसायिक नियामक वातावरण का सरलीकरण करना।
6. वेब आधारित (Web Enabled) एकल आवेदन व्यवस्था बनाना एवं मामलों का समयबद्ध निस्तारण करना।
7. प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के माध्यम से मानव संसाधन की गुणवत्ता का विकास करना।
8. छोटी इकाईयों के सहयोग के लिए सामान्य सुविधा केन्द्रों के माध्यम से सेवायें एवं सुविधा उपलब्ध करवाने के लिये कलस्टर एप्रोच को बढ़ावा देना।
9. स्वयं सहायता समूह एवं सहकारिता को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में बढ़ावा तथा ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प जैसे परम्परागत क्षेत्रों को उत्पादन एवं विपणन में सहयोग देकर उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना।

10. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की समस्त मूल्य श्रृंखला में निजी क्षेत्र की सहभागिता से संयुक्त उपक्रमों को बढ़ावा देना।
11. तकनीकी संस्थानों एवं विशेषज्ञों के सहयोग से तकनीकी उन्नयन के लिए तकनीकी सुविधा केन्दों की स्थापना करना, जिससे राज्य के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को तकनीकी सहयोग मिल सके।
12. एक राज्य स्तरीय अतंर्विभागीय टास्क फोर्स का गठन करना, जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के विकास हेतु कार्य करे।
13. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को उचित दरों पर आधारभूत अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त संख्या में औद्योगिक आस्थान विकसित करना।
14. राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को क्लस्टर के माध्यम से बढ़ावा देना।
15. निर्यात को बढ़ावा देने के लिये संस्थागत सहयोग प्रदान करना।
16. जिला उद्योग केन्द्रों का एकल सूचना, सहायता एवं सुकरता केन्द्र के रूप में सुदृढ़ीकरण करना।
17. मेला/प्रर्दशनी/उत्सव इत्यादि में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के प्रतिभाग हेतु सहायता एवं विपणन हेतु हाट एवं विपणन पार्क के विकास द्वारा सहायता।
18. हस्तशिल्प, हथकरघा एवं खादी क्षेत्र में डिजाईन एवं विपणन सहायता के लिए संस्थागत व्यवस्था।
19. सूक्ष्म, लघु उद्यम क्षेत्र सम्बन्धी नीतियों एवं योजनाओं की समीक्षा व सहयोग एवं शिकायत निवारण के लिये एक सुदृढ़ संस्थागत तंत्र विकसित करना।
20. जल संसाधन का समुचित दोहन व उपचार, अवशिष्ट जल का पुनर्चक्रण (Recycle) गैर परम्परागत ऊर्जा क्षेत्रों को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण के लिये हरित तकनीक के उपयोग से कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना। इस सन्दर्भ में सरकार द्वारा लाया गया नेशनल सोलर मिशन कार्यक्रम एक वृहत प्रयास है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा के साथ–साथ सतत् पारिस्थितिकी विकास को बढ़ावा मिल सके।
21. श्रमिकों के अनुकूल नीतियों को अपनाने तथा श्रमिकों की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अवस्थापना के सृजन, यथाः ईएसआई हास्पिटल, औषधालय, कल्याण केन्द्र एवं औद्योगिक श्रमिक आवासीय सुविधाओं का विकास आदि।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति का व्यापक प्रचार–प्रसार ब्लाक एवं ग्राम स्तर तक सुनिश्चित किया जायेगा। प्रथम वर्ष में एक अभियान चलाकर नीति की जानकारी, स्वरोजगार हेतु अभिप्रेरण एवं युवाओं को सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की स्थापना के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए इच्छुक युवाओं का चिन्हीकरण किया जायेगा। इन्हें प्रशिक्षित कर संबंधित योजनाओं के माध्यम से वित्त पोषण एवं अन्य सभी सहयोग प्रदान किये जायेंगे, ताकि वे सफलतापूर्वक उद्यम चला सकें।

वित्तीय प्रोत्साहनों एवं अनुदान सहायता के लिये चिन्हित क्षेत्रों का वर्गीकरण

विभिन्न सहायताओं एवं अनुदानों को मात्राकृत करने के लिये प्रदेश को निम्नानुसार 04 श्रेणियों में विभाजित किया गया है:–

श्रेणी	सम्मिलित/आच्छादित क्षेत्र
श्रेणी– ए:	जिला पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चम्पावत, रूद्रप्रयाग व बागेश्वर का सम्पूर्ण क्षेत्र।
श्रेणी– बी	• जनपद पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल व अल्मोड़ा का सम्पूर्ण भू–भाग। • जनपद देहरादून के विकासनगर, डोईवाला, सहसपुर तथा रायपुर विकासखण्ड को छोड़कर अन्य सभी पर्वतीय बाहुल्य विकासखण्ड। • जनपद नैनीताल के हल्द्वानी एवं रामनगर विकासखण्ड को छोड़कर अन्य सभी पर्वतीय बाहुल्य विकासखण्ड।
श्रेणी–सी	• जनपद देहरादून के रायपुर, सहसपुर, विकासनगर व डोईवाला विकासखण्ड के समुद्र तल से 650 मी0 से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र। • जनपद नैनीताल के रामनगर व हल्द्वानी विकासखण्ड।
श्रेणी–डी	• जनपद हरिद्वार एवं ऊधमसिंहनगर का सम्पूर्ण क्षेत्र तथा जनपद देहरादून व नैनीताल के अवशेष क्षेत्र (श्रेणी–बी व सी में सम्मिलित क्षेत्रों को छोड़कर)

नोट:– श्रेणी–सी एवं डी के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में केवल विनिर्माणक गतिविधियों (**Manufacturing Activities**) पर नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ अनुमन्य होगा।

वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता के लिये चिन्हित सेवा/विनिर्माणक क्षेत्र के उद्यम

वित्तीय प्रोत्साहनों/अनुदान सहायता के लिये निम्नांकित गतिविधियॉ/क्रियाकलाप पात्र/अर्ह (Eligible) होंगेः–

श्रेणी–ए
• हरित तथा नारंगी श्रेणी के अप्रदूषणकारी विनिर्माणक उद्यम। • विशेष औद्योगिक पैकेज के अन्तर्गत अधिसूचित थ्रस्ट सैक्टर उद्योग/गतिविधियॉ। • प्रदेश सरकार से उद्योग का दर्जा प्राप्त गतिविधियॉ, यथाः कुक्कुट पालन तथा पर्यटन क्रियाकलाप। • पूर्वात्तर राज्यों के लिये घोषित विशेष औद्योगिक पैकेज में सम्मिलित सेवा क्षेत्र व अन्य क्षेत्र की निम्न गतिविधियॉः– ➢ होटल, साहसिक एवं अवकाशकालीन खेल, रोप–वे। ➢ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं युक्त नर्सिंग होम। ➢ व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, यथाः होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एण्ड फूड क्राफ्ट, उद्यमिता विकास प्रशिक्षण, नर्सिंग एवं पैरामैडिकल, नागरिक विमानन से सम्बन्धित प्रशिक्षण, फैशन डिजाईनिंग तथा औद्योगिक एवं कौशल विकास प्रशिक्षण। • जैव प्रौद्योगिकी। • संरक्षित कृषि एवं औद्यानिकी, कोल्ड स्टोरेज आदि गतिविधियॉ। • पैट्रोल एवं डीजल पम्पिंग स्टेशन, गैस गोदाम।
• श्रेणी–सी एवं डी में मात्र विनिर्माणक गतिविधियॉ।
• रीवर बेड मैटेरियल आधारित उद्योगों (स्टोन क्रेशर सहित) पर छूट/रियायतों का लाभ पूरे प्रदेश में अनुमन्य नहीं होगा।

2.1 उत्पादित उत्पादों के विपणन, कच्चामाल तथा तैयार माल के परिवहन हेतु उपयोग में लाये जा रहे परिवहन भार वाहन(Transport Vehicle) पर किया गया स्थिर पूंजी निवेश भी पूंजी उपादान के लिये अर्ह माना जायेगा।

2.2 स्वयं के स्वामित्व/क्रय किये गये/लीज पर लिये गये भवन में उद्यम संचालन हेतु आवश्यक अतिरिक्त निर्माण/परिवर्द्धन/रिनोवेशन पर व्यय को भी स्थिर पूंजी निवेश में शामिल किया जायेगा।

2.3 नीति के अन्तर्गत कठिनाईयों के निवारण तथा स्पष्टीकरण जारी करने हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग अधिकृत होगा।

3- वित्तीय प्रोत्साहन एवं छूट (**Fiscal Incentives & Concessions**)

3.1 निवेश प्रोत्साहन सहायताः— उद्यम के प्लांट व मशीनरी तथा कार्यशाला भवन में किये गये अचल पूंजी निवेश पर निम्नांकित श्रेणियों के अनुसार निवेश प्रोत्साहन सहायता अनुमन्य होगीः—

क्र.सं.	श्रेणी	प्रोत्साहन सहायता की मात्रा/सीमा
1	श्रेणी— ए	40 प्रतिशत (अधिकतम रू0 40 लाख)
2	श्रेणी— बी	35 प्रतिशत (अधिकतम रू0 35 लाख)
3	श्रेणी— सी	30 प्रतिशत (अधिकतम रू0 30 लाख)
4	श्रेणी— डी	15 प्रतिशत (अधिकतम रू0 15 लाख)

* भारत सरकार द्वारा संचालित केन्द्रीय पूंजी निवेश उपादान योजना में अनुमन्य उपादान की सुविधा के अतिरिक्त श्रेणी—ए, बी एवं सी के जनपदों/क्षेत्रों में राज्य निवेश प्रोत्साहन सहायता भी अनुमन्य होगी, किन्तु इन योजनाओं में वित्तीय प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा/मात्रा उद्यम में किये गये कुल स्थिर पूंजी निवेश का 60 प्रतिशत अधिकतम रू0 60 लाख से अधिक नहीं होगी।

* श्रेणी—डी में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा संचालित पूंजी निवेश उपादान योजना/निवेश प्रोत्साहन योजना में से केवल एक ही श्रोत से उपादान सहायता अनुमन्य होगी।

3.2 ब्याज उपादानः—

क्र.सं.	श्रेणी	अनुदान की मात्रा/सीमा
1	श्रेणी— ए	10 प्रतिशत (अधिकतम रू. 08 लाख/प्रतिवर्ष/इकाई)
2	श्रेणी— बी	08 प्रतिशत (अधिकतम रू. 06 लाख/प्रतिवर्ष/इकाई)
3	श्रेणी— सी	06 प्रतिशत (अधिकतम रू. 04 लाख/प्रतिवर्ष/इकाई)
4	श्रेणी— डी	शून्य

3.3 <u>मूल्यवर्धित कर (**VAT**) की प्रतिपूर्ति (**Reimbursement**)</u>:– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा दिये गये वैट (VAT) की प्रतिपूर्ति निम्नानुसार की जायेगी:–

क्र.सं.	श्रेणी	प्रतिपूर्ति की मात्रा/सीमा
1	श्रेणी– ए	प्रथम 5 वर्ष के लिये शत प्रतिशत तथा तत्पश्चात् 90 प्रतिशत
2	श्रेणी– बी	प्रथम 5 वर्ष के लिये शत प्रतिशत तथा तत्पश्चात् 75 प्रतिशत
3	श्रेणी– सी	शून्य
4	श्रेणी– डी	शून्य

3.4 <u>स्टाम्प शुल्क में छूट</u>:–

क्र.सं.	श्रेणी	छूट की मात्रा/सीमा
1	श्रेणी– ए	शत प्रतिशत
2	श्रेणी– बी	शत प्रतिशत
3	श्रेणी– सी	शत प्रतिशत
4	श्रेणी– डी	50 प्रतिशत

3.5 <u>विद्युत बिलों की प्रतिपूर्ति (**Reimbursement**)</u>:– विद्युत बिलों की प्रतिपूर्ति श्रेणी–ए एवं बी क्षेत्रों में निम्नानुसार अनुमन्य होगी। श्रेणी–सी एवं डी क्षेत्रों में यह सुविधा देय नहीं होगी:–

संयोजित विद्युत भार	श्रेणी– ''ए''	श्रेणी– ''बी'' *
	प्रतिपूर्ति की मात्रा/सीमा	प्रतिपूर्ति की मात्रा/सीमा
100 केवीए	प्रथम 5 वर्ष के लिये शत प्रतिशत तथा तत्पश्चात् 75 प्रतिशत।	प्रथम 5 वर्ष के लिये शत प्रतिशत तथा तत्पश्चात् 60 प्रतिशत।
100 केवीए से ऊपर	60%	50%

* यह सुविधा अधिक विद्युत खपत वाले उद्यमों यथा: होटल/मोटल, रिसार्ट, गैस्ट हाऊस, स्टील रोलिंग मिल, विद्युत भट्टी पर लागू नहीं होगी।

3.6 विशेष राज्य परिवहन उपादानः–

क्र.सं.	श्रेणी	उपादान की मात्रा/सीमा
1	श्रेणी– ए	वार्षिक टर्नओवर का 7 प्रतिशत, अधिकतम रू. 07 लाख/प्रतिवर्ष/इकाई
2	श्रेणी– बी	वार्षिक टर्नओवर का 5 प्रतिशत, अधिकतम रू. 05 लाख/प्रतिवर्ष/इकाई
3	श्रेणी– सी	शून्य
4	श्रेणी– डी	शून्य

- मूल्यवर्द्धित कर की प्रतिपूर्ति उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से देय होगी।
- रीवर बेड मैटेरियल पर छूट/रियायतों का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
- नीति में प्रदत्त छूट/रियायतें श्रेणी–सी तथा डी के जनपदों/क्षेत्रों में अवस्थित होने वाले पर्यटन/सेवा क्षेत्र की गतिविधियों को अनुमन्य नहीं होंगे।

विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में उक्त वित्तीय प्रोत्साहनों के अतिरिक्त स्वीकृत अन्य सभी प्रोत्साहन सुविधायें श्रेणी–ए एवं बी के जनपदों/क्षेत्रों में यथावत् लागू रहेंगी। अध्याय–4 से 9 तक वर्णित प्राविधान पूरे प्रदेश में लागू होंगे।

4- अवसंरचनात्मक सहयोग (**Infrastructural Support**)

4.1 भूमि बैंक(**Land Bank**)–सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना के लिये भूमि क्रय में एक बड़ी धनराशि निवेश करने में उद्यमियों को कठिनाई होती है। अतः नितान्त आवश्यक है कि इन्हें रियायती दरों एवं आसान शर्तो पर भूमि उपलब्ध करायी जाय। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमो के लिये उनकी आवश्यकता के आधार पर औद्योगिक अवसंरचना विकास के लिये भूमि बैंक की व्यवस्था की जायेगी। उद्योग विभाग एवं अन्य विभागों के पास उपलब्ध ऐसी भूमि जहॉ पर अवसंरचना विकास सम्भव हो, को भूमि बैंक में सम्मिलित किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर ऐसी भूमि का चिन्हीकरण किया जायेगा, जिनको औद्योगिक आस्थानों के रूप में विकसित किया जा सके। मा0 मंत्रिमण्डल के निर्णयानुसार 100 औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लक्ष्य को देखते हुये प्रथम चरण में चिन्हित व्यवहार्य स्थलों, जहॉ पर अवस्थापना सुविधाओं के विकास की सम्भावना अधिक हो, पर 25 औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जायेंगे। व्यवहार्य चिन्हित स्थलों पर औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिये उद्योग विभाग के स्वामित्व की भूमि तथा अन्य राजकीय भूमि हेतु प्राथमिकता जिलाधिकारी के माध्यम से भूमि के अर्जन के साथ–साथ स्थानीय भूस्वामियों से, जो अपनी भूमि विकास हेतु देना चाहते हैं, उचित मूल्य पर भूमि अर्जित की जायेगी।

4.2 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिये विशेष औद्योगिक आस्थानों की स्थापना की जायेगी। सिडकुल के एकीकृत औद्योगिक आस्थानों में भी 25 प्रतिशत भूमि सूक्ष्म व लघु उद्यमों के लिये आरक्षित रखी जायेगी। अवसंरचनात्मक सहयोग योजना (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार) के माध्यम से प्राप्त सहायता/उपादान को लघु/सूक्ष्म उद्यमियों तक भूमि की न्यूनतम लागत के रूप में पहुचॉया जायेगा और राज्य सरकार भी उद्यमियों को कम मूल्य पर भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये चयनित विकासकर्ता संस्था/सिडकुल को सहायता/उपादान उपलब्ध करायेगी।

भूमि की दरों का निर्धारण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कमेटी की संस्तुति के आधार पर भूमि की वास्तविक कीमत, अवस्थापना सुविधाओं के विकास की लागत, प्रचलित भूमि की दरों को ध्यान में रखते हुये तथा क्षेत्र विशेष में औद्योगिक विकास की स्थिति को देखते हुये किया जायेगा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के निदेशक के रूप में कार्यरत अधिकारी द्वारा ऐसे सेवा क्षेत्र की गतिविधियों को भी चिन्हित किया जायेगा, जिन्हें औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन किया जा सकता है। भूमि आवंटन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय उद्योग मित्र परिषद द्वारा किया जायेगा।

4.3 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए अवसंरचना विकास कोष की स्थापना:– नये औद्योगिक आस्थानों की स्थापना एवं विद्यमान औद्योगिक आस्थानों की अवसंरचना विकास के लिये एक पृथक कोष का सृजन किया जायेगा, जिसके लिये सिडकुल, राज्य सरकार एवं अन्य एजेंसियों से वित्तीय सहायता लेकर इस कोष में धनराशि रखी जायेगी। कोष के गठन के लिये प्रारम्भ में सिडकुल द्वारा रू0 20 करोड़ की धनराशि दी जायेगी।

इस कोष से एक सम्पूर्ण सहायता व्यवस्था को वित्तपोषित किया जायेगा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमो में कलस्टर निर्माण के लिए डी. पी. आर. बनाना, विशेषज्ञों, कंसल्टेन्सी, सलाहकार सेवा सम्बन्धी कार्यो के लिए प्रारम्भिक वित्तीय सहायता (और भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिये राज्यांश) की व्यवस्था इस कोष से की जायेगी।

इस कोष के संचालन/व्यय की स्वीकृति के लिये एक प्राधिकृत समिति का गठन किया जायेगा, जिसे अधिकारों का प्रतिनिधायन किया जायेगा।

4.4 नये औद्योगिक आस्थानों का विकासः– राज्य सरकार नये औद्योगिक आस्थान विकसित करने के लिये आवश्यक सहायता उपलब्ध करायेगी। इन औद्योगिक आस्थानों में प्राथमिक अवसंरचना, जैसेः सड़क, बिजली, पानी, निकास व्यवस्था के साथ–साथ पूरक सुविधाओं के रूप में पुलिस स्टेशन, बैंक, श्रमिक आवास, अवशिष्ट प्रबन्धन तंत्र, ईएसआई अस्पताल इत्यादि का भी आवश्यकतानुसार प्राविधान किया जायेगा। नये औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास का कार्य प्रयोजन हेतु संबंधित संस्था सिडकुल द्वारा किया जायेगा।

4.5 बहुतल आस्थानों की स्थापनाः– सूक्ष्म व छोटी इकाईयों को स्थान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नये एवं पूर्व से स्थापित औद्योगिक आस्थानों में फैक्ट्री शेडों/फ्लैट्स का निर्माण किया जायेगा, जिससे कि उद्यमियों के बहुमूल्य समय/संसाधन को, भूमि भवन की खोज में निवेश करने की अपेक्षा औद्योगिक विकास में लगाया जा सके।

राज्य सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिये बहुतल आस्थानों का निर्माण किया जायेगा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम आस्थानों/फ्लैटेड फैक्ट्रीज के लिये आसान एवं एफएसआई एवं न्यूनतम प्लाट साइज का निर्धारण किया जायेगा तथा इनमें प्राथमिक सुविधाओं युक्त भूखण्ड/शेडों का आवंटन पट्टे अथवा किराये के संबंध में समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। उद्यमियों को विद्युत, संचार आदि समस्त सुविधायें उपलब्ध होगी, जिससे वह सिर्फ मशीन–संयंत्र लगाकर उत्पादन कार्य कर सके।

4.6 स्थापित औद्योगिक आस्थानों का उन्नयनः– इस नीति के अन्तर्गत पूर्व से स्थापित औद्योगिक आस्थानों का अवसंरचनात्मक विकास प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा। भारत सरकार की अवसंरचना विकास योजनान्तर्गत प्रस्ताव तैयार किया जायेगा। जिला योजनाओं में औद्योगिक आस्थानों के रख–रखाव के लिये समुचित बजट प्राविधान किया जायेगा।

4.7 वैण्डर एवं अनुपूरक (**Ancillory**) पार्क :– मध्यम तथा वृहद उद्योंगों को अपने वैण्डर पार्क स्थापित करने के लिए भूमि प्राप्त करने तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 20 प्रतिशत की दर से रू. 01 करोड़ की सीमा तक की सहायता दी जायेगी। इस पार्क में संबंधित मुख्य उद्यमियों को कम से कम 10 सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को स्थापित करना आवश्यक होगा।

4.8 कलस्टर विकास योजनाः– राज्य सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार की कलस्टर विकास योजना सें आवश्यक सहयोग एवं सहायता प्राप्त करेगी। राज्य सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार सामान्य सुविधा केन्द्र (Common Facility Centre) हेतु भूमि सहित अन्य आवश्यक सहायता दी जा सकेगी। प्रत्येक कलस्टर हेतु विशिष्ट आवश्यकता के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा सहायता हेतु पैकेज तैयार किया जायेगा।

5- संस्थागत सहयोग/सरलीकरण/अधिनियमन

5.1 एकल खिड़की सुगमता एवं अभिज्ञापन अधिनियमः— राज्य सरकार द्वारा उद्यमियों की उद्यम स्थापना सम्बन्धी समस्याओं, आपत्तियों एवं स्वीकृतियों के समयबद्ध निस्तारण के उद्देश्य से ''उत्तराखण्ड उद्यमिता एकल खिड़की सुगमता एवं अभिज्ञापन अधिनियम— 2013'' लागू किया गया है।

(i) यह व्यवस्था उद्यमियों को सूचना तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाते हुए उन्हें एक ही पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन की सुविधा उपलब्ध करायेगा। उद्यमियों को सभी आवश्यक स्वीकृतियों/अनापत्तियों एवं अनुज्ञाओं को सरलतापूर्वक प्राप्त करने हेतु एकल आवेदन पत्र विकसित किया जायेगा। (श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित एकल रिटर्न (Single Return) व्यवस्था को लागू किया जायेगा।)

(ii) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को उनसे सम्बन्धी शिकायतों एवं वैधानिक जरूरतों के सम्बन्ध में स्व—प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था का प्रावधान किया जायेगा।

5.2 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास कोष— नीति के अन्तर्गत प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों/अनुदानों का समयबद्ध संवितरण सुनिश्चित करने हेतु एमएसएमई विकास निधि गठित की जायेगी, जिसमें राज्य सरकार, सिडकुल व अन्य श्रोतों द्वारा धनराशि दी जा सकेगी, ताकि स्वीकृति के पश्चात् तत्काल धनराशि इकाईयों को वितरित की जा सके। एकल खिड़की अधिनियम के अन्तर्गत भी समयबद्ध वितरण हेतु प्रभावी व्यवस्था बनाई जायेगी।

5.3 उद्योग मित्रः— उत्तराखण्ड राज्य में उद्यमियों से सतत् संवाद, उनकी समस्याओं के निराकरण तथा नीतिगत विषयों पर निर्णय हेतु जिला एवं राज्य स्तर पर उद्योग मित्र का गठन किया गया है। उद्योग मित्र को त्रिस्तरीय बनाया जायेगा। जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रत्येक माह राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तीन माह में एक बार एवं मा0 मुख्यमंत्री जी के स्तर पर वर्ष में कम से कम एक बैठक आयोजित की जायेगी। जिला स्तरीय उद्योग मित्र में जिलाधिकारी सभी सम्बन्धित विभागों, जैसेः वन, उद्यान, कृषि, पशुपालन, तकनीकी शिक्षा, पर्यटन आदि का सहयोग लेते हुये जनपद के लिये सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के विकास की कार्ययोजना बनायेंगे। इसमें वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों का समुचित सहयोग सुनिश्चित कराया जायेगा। नीतिगत प्रकरणों को राज्य स्तर पर सन्दर्भित किया जायेगा।

5.4 उत्तराखण्ड सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुकरता परिषद(**Uttarakhand Micro and Small Enterprise Facilitation Council**)ः— सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम—2006 मे परिकल्पित व्यवस्था के अनुसार राज्य में निदेशक उद्योग/एमएसएमई की अध्यक्षता में राज्य सुकरता परिषद का गठन किया गया है, जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विलम्बित संदायों से सम्बन्धित मामलों का निस्तारण करने का एक प्रभावी तंत्र (Mechanism) है। सुकरता परिषद व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिये अवसंरचना एवं मानव संसाधन विकास हेतु आवश्यक कदम उठाये जायेंगे। भारत सरकार से इस हेतु सहायता के प्रयास किये जायेंगे।

5.5 उद्यमिता एवं कौशल विकास प्रकोष्ठः— सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय में यह प्रकोष्ठ उद्यमिता विकास प्रशिक्षण एवं कौशल विकास से जुड़ी राज्य की विभिन्न संस्थाओं के मध्य समन्वय स्थापित करेगा। प्रशिक्षण संस्थाओं के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकताओं के निर्धारण के लिये एक ''विस्तृत मांग एवं पूर्ति अंतर'' का अध्ययन कराया जायेगा एवं तद्नुरूप प्रशिक्षण संस्थानों के सहयोग से प्रशिक्षण संचालित किये जायेंगे।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग उद्योगों की मांग के अनुसार राज्य में कौशल विकास मिशन को बढ़ावा देने एवं अभिज्ञापित करने में समन्वय स्थापित करते हुये उद्योगों की मॉग के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में सहयोग देगा।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा अपने कर्मकारों के विशेषीकृत प्रशिक्षण हेतु प्रायोजित करने पर राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों, यथाः भारतीय प्रबन्ध संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को प्रशिक्षण शुल्क का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 10,000/– की सीमा तक सहायता दी जायेगी। उद्यमों द्वारा अपने कर्मकारों को प्रशिक्षण हेतु प्रायोजित करने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय से प्रारम्भिक सहमति ली जायेगी।

यह प्रकोष्ठ कौशल विकास मिशन, आईटीआई, पॉलीटैक्निक के साथ समन्वय एवं सहयोग कर कौशल विकास प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। कौशल विकास कार्यक्रम के बृहद प्रचार–प्रसार हेतु प्रदेश में सघन अभियान चलाये जायेंगे।

5.6 वेण्डर/सहायक उद्यम एवं कलस्टर विकास प्रकोष्ठः– राज्य के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को अधिकाधिक वरीयता दिये जाने के क्रम में मार्गदर्शक व सुगमकर्ता (facilitator) की भूमिका निभाने के लिए एक प्रकोष्ठ बनाया जायेगा, जो सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों (Public Sector Units), बृहत उद्यमों एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को एक दूसरे से समन्वय में सहायता करेगा जिससे कि सार्वजनिक उपक्रमों तथा बृहत उद्यमों को वस्तु/सेवा की आपूर्ति में सूक्ष्म, लघु इकाईयां सक्षम हो सके।

यह प्रकोष्ठ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों (Public Sector Units) से जोड़ने के लिये मार्गदर्शन एवं आवश्यक प्रशिक्षण/ क्षमता–निर्माण कार्यक्रय जैसे– क्रेता–विक्रेता सम्मेलन, नियमित संवाद आदि का आयोजन करेगा।

5.7 स्वरोजगार को बढ़ावाः– जनपद स्तर पर सभी स्वरोजगारपरक योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने, आवेदन पत्र एवं परियोजना रिपोर्ट तथा मार्गदर्शन उपलब्ध कराने का कार्य जिला उद्योग केन्द्र में परामर्शकक्ष के माध्यम से किया जायेगा। महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र सभी विभागों/परियोजनाओं/ संस्थाओं के साथ समन्वय बनायेंगे और जिला उद्योग मित्र में इनकी एकीकृत समीक्षा भी की जायेगी। विभिन्न विभागों/संस्थाओं के माध्यम से संचालित राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय आजीविका एवं स्वरोजगार विकास के कार्यक्रमों के साथ समन्वय करते हुये उपलब्ध संसाधनों का नियोजित रूप से अधिकतम उपयोग किया जायेगा।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा शिक्षित युवाओं को चिन्हित कर प्रतिवर्ष 500–1000 लोगों को उद्यमिता एवं कौशल में प्रशिक्षित कर स्वतः उद्यम स्थापित करने में सहायता दी जायेगी, ताकि प्रशिक्षित लोग नौकरी ढूंढने के बजाय अपने उद्यम के माध्यम से अन्य लोगों को रोजगार देने में सफल हो सकें। इन्हें वित्त पोषण सहित सभी आवश्यक सहायतायें विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जायेंगी।

(i) –स्वरोजगार एवं उद्यमिता दिवस का आयोजनः–प्रत्येक माह का अन्तिम शुक्रवार स्वरोजगार एवं उद्यमिता दिवस के रूप में मनाया जायेगा। इस दिन जिला उद्योग केन्द्रों में स्वरोजगार एवं लघु उद्यमों से जुड़े सभी विभागों/संस्थाओं/बैंकों के अधिकारी उपलब्ध रहेंगे एवं अपनी–अपनी योजनाओं की जानकारी उद्यमियों को उपलब्ध कराते हुये यथासम्भव नियमानुसार उनकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। विज्ञापन एवं प्रचार–प्रसार द्वारा जनपद के युवाओं एवं नव उद्यमियों को इस दिवस में सम्मिलित होने के लिए सूचना दी जायेगी। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उस दिन सम्बन्धित अधिकारी उक्त दिवस हेतु उपलब्ध रहें।

(ii) –शैक्षणिक संस्थाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों में उद्यमिता एवं स्वरोजगार प्रोत्साहन हेतु शिक्षा विभाग/ तकनीकी शिक्षा विभाग के साथ समन्वय स्थापित किया जायेगा, ताकि इन संस्थाओं में

शिक्षारत युवाओं को स्वरोजगार के सम्बन्ध में उचित जानकारी एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सके।

(iii) –प्रधानमंत्री रोजगार योजना की तर्ज पर राज्य सरकार मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन करेगी। इस योजना के अन्तर्गत सूक्ष्म उद्यमों को विनिर्माणक क्षेत्र में अधिकतम रू. 05 लाख एवं व्यवसाय व सेवा क्षेत्र में अधिकतम रू. 03 लाख तक के ऋण बैंको के माध्यम से स्वीकृत किये जायेंगे। इस योजना के अन्तर्गत निम्न सारणी के अनुसार मार्जिन मनी सहायता दी जायेगी:–

मार्जिन मनी सहायता		
श्रेणी	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
सामान्य वर्ग	15	25
एससी / एसटी / महिला / पूर्व सैनिक / अल्पसंख्यक / पर्वतीय क्षेत्र	25	35

योजनान्तर्गत वे गतिविधियॉ जिन्हें खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन (KVIC), भारत सरकार ने नाकारात्मक सूची के रूप में चिन्हित किया है, भी वित्तपोषित की जायेंगी।

उक्त वित्तीय सीमा से ऊपर की परियोजनाओं को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तपोषित किया जायेगा। राज्य की स्थानीय जरूरतों को देखते हुये अधिकाधिक गतिविधियां इस योजना में शामिल की जायेंगी।

5.8 निर्यात प्रोत्साहन प्रकोष्ठः– प्रदेश से निर्यात को बढ़ावा दिये जाने के उद्‌देश्य से निदेशालय में एक निर्यात प्रोत्साहन प्रकोष्ठ की स्थापना की जायेगी। इस प्रकोष्ठ में समुचित स्टाफ एवं संसाधन सृजित किये जायेंगे। प्रकोष्ठ द्वारा विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन परिषदों, राष्ट्रीय स्तर के निर्यात प्रोत्साहन संस्थानों जैसेः फीयो, डीजीएफटी, आईआईएफटी से समन्वय करते हुये भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं सूचनाओं को प्रदेश के निर्यातकों तक पहुंचाने हेतु प्रयास किया जायेगा। विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय निर्यात प्रोत्साहन मेलों में राज्य सरकार की ओर से प्रतिभाग किया जायेगा एवं जिन देशों में प्रदेश के उत्पादों के निर्यात की सम्भावनायें हों, उनमें निर्यातकों एवं निर्यात प्रोत्साहन परिषदों के साथ मिलकर व्यापारिक प्रतिनिधि मण्डल का समय–समय पर भ्रमण किया जा सकेगा।

5.9 तकनीकी व्यवसायिक इन्क्यूबेटरः– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में नवीन तकनीकी व डिजाईन विकास के उद्‌देश्य से आटोमोबाईल, मशीन टूल, खाद्‌य प्रसंस्करण, इलैक्ट्रानिक, वन आधारित उद्यम व चिन्हित / चयनित कलस्टर, इत्यादि क्षेत्रों में तकनीकी व्यवसायिक इन्क्यूबेटर / उत्कृष्टता के केन्द्र स्थापना हेतु आधारभूत संरचना पर किये गये व्यय पर रू. 50 लाख तक प्रति इन्क्यूबेटर / उत्कृष्टता के केन्द्र हेतु वित्तीय सहायता दी जायेगी।

राज्य के विश्व विद्यालयों, तकनीकी एवं शोध संस्थानों को नये एवं उभरते उद्यमियों को इन्क्यूबेटर सुविधा उपलब्ध कराने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा।

5.10 जॉच प्रयोगशाला एवं प्रमाणीकरणः– वर्तमान वैश्विक प्रतिस्पर्धा को देखते हुए सामान्य उद्यम तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की जॉच सम्बन्धी जरूरतों की पूर्ति के लिये State of the Art Machineries आधार पर जॉच प्रयोगशालायें स्थापित की जायेंगी, जिसके लिये स्वायत्त अनुदान की व्यवस्था हेतु लोक निजी सहभागिता के आधार पर सम्भावनायें तलाशी जायेंगी।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार की योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृति के लिये आवेदन इत्यादि की प्रक्रिया में उद्योग निदेशालय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संगठनों की तरफ से समन्वय स्थापित करेगा।

5.11 उद्योग निदेशालय एवं जिला उद्योग केन्द्रों का सुदृढ़ीकरणः– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पर प्रधानमंत्री टास्क फोर्स कमेटी द्वारा दी गई सिफारिशों में जिला उद्योग केन्द्रों का सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को बढ़ावा देने वाली एजेंसी के रूप में सुदृढ़ीकरण पर जोर दिया गया है। टॉस्क फोर्स कमेटी द्वारा जिला उद्योग केन्द्र को योजनाओं/नीतियों/व्यवहार्य गतिविधियो की परियोजना, रूपरेखा व विपणन सहायता पर व्यापक जानकारी उपलब्ध कराने के अभिकरण के रूप में सुदृढ़ करने की प्रबल संस्तुति की गई है। जिला उद्योग केन्द्रों को अन्य विभागों/संगठनों एवं वित्तीय संस्थानों से प्रभावी समन्वय कर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए सुकरता की भूमिका निभानी चाहिये। अतः उद्योग निदेशालय एवं जिला उद्योग केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रभावी कदम उठाये जायेंगे, जिससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम सम्बन्धी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हो सके।

एमएसएमई (उद्योग) निदेशालय में उपरोक्तानुसार नीति में प्रस्तावित प्रकोष्ठों को सुदृढ़ किया जायेगा। इन प्रकोष्ठों हेतु तकनीकी एवं विशिष्ट सहायता हेतु व्यवसायिक संस्थाओं को सेवाओं हेतु एम्पैनल किया जा सकेगा अथवा विशेषज्ञों को संविदा के आधार पर नियुक्त किया जा सकेगा। उद्योग निदेशालय एवं जिला उद्योग केन्द्रों के ढॉचे का पुनर्गठन किया जायेगा। निदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम का पूर्णकालिक पद सृजित किया जायेगा।

विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों की क्षमता बृद्धि हेतु उन्हें उपयुक्त संस्थानों में प्रशिक्षण हेतु भेजा जायेगा और प्रदेश से बाहर भी भ्रमण कार्यक्रमों में समय–समय पर भेजा जायेगा।

जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा स्थानीय कच्चेमाल पर आधारित उद्यमों एवं सम्भावित उद्यमियों के चिन्हीकरण, प्रशिक्षण तथा वित्त पोषण सहित सभी वांछित सहायतायें उपलब्ध कराई जायेंगी। एमएसएमई विभाग द्वारा अन्य पर्वतीय राज्यों एवं उत्तराखण्ड की तरह भौगोलिक स्थिति वाले देशों/क्षेत्रों का भ्रमण कर उनके द्वारा अपनाई गई रणनीति का लगातार अध्ययन किया जायेगा एवं राज्य के लिये एक गतिशील कार्ययोजना वर्षवार बनाई जायेगी।

जनपदवार एवं विकासखण्डवार सम्भावित उद्यमों को चिन्हित कर इनके लिये बैंकेबल परियोजनायें निर्माण कराई जायेंगी। इसके लिये सिडबी, नाबार्ड एवं बैंकों की सहायता भी ली जायेगी। जिला उद्योग केन्द्रों में परामर्श एवं सूचना कक्षों को सुदृढ़ बनाते हुये उद्यमियों को वांछित जानकारियॉ उपलब्ध कराने हेतु सक्षम बनाया जायेगा।

5.12 प्रदूषणः– वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के आदेश संख्याः 16011/1/92–सीपीडब्ल्यू दिनांकः 29 सितम्बर, 1992 को लागू कर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की सहमति एवं नवीनीकरण (Renewal) के लिये अनापत्ति प्रमण–पत्र की प्रक्रिया को सहज एवं कारगर बनाया जायेगा। इस आदेश के प्रावधानों के अनुसार किसी भी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम का आवेदन जो कि वायु (Prevention and Control of Pollution Act, 1980) अधिनियम–1980 एवं जल (Prevention and Control of Pollution Act, 1974) अधिनियम–1974 से सम्बन्धित हो, के क्रम में की गई जॉच प्रक्रिया सिर्फ भारी प्रदूषण फैलाने वाली इकाईयों (वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश दिनांकः 29 सितम्बर, 1992 में भारी उद्योग के रूप में उल्लिखित) पर ही लागू होंगी।

यह व्यवस्था की जायेगी कि अन्य श्रेणी के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के आवदेन पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अभिस्वीकृति ही सहमति (Consent) के रूप में कार्य करे, जिसके नवीनीकरण (Renewal) की तब तक आवश्यकता नहीं होगी, जब तक कि उद्यम की प्रक्रिया में बदलाव अथवा आधुनिकीकरण न हो।

राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नारंगी श्रेणी के उद्योगों को तीन वर्ष एवं हरित श्रेणी के उद्योगों को पॉच वर्ष की अवधि के लिये सहमति/प्राधिकार(Consent) दिये जाने का निर्णय लिया गया है। उपरोक्तानुसार दून वैली क्षेत्र में भी हरित एवं नारंगी श्रेणी के उद्योगों को प्रतिवर्ष नवीनीकरण के स्थान पर उपरोक्तानुसार व्यवस्था की जायेगी।

पर्वतीय क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा शुल्क की दरों में कमी किये जाने पर विचार किया जायेगा।

दून वैली अधिनियम के प्राविधानों में वर्तमान प्रौद्योगिकी उन्नयन /तकनीकी प्रगति को देखते हुये भारत सरकार को अपनी संस्तुतियॉ दिये जाने हेतु विशेषज्ञों को सम्मिलित करते हुये एक ''वर्किंग ग्रुप'' बनाया जायेगा।

5.13 ऋण (**Credit**):– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास एवं उत्तरजीविता (Survival) के लिये पर्याप्त संस्थागत ऋण की उपलब्धता के प्रयास बहुत आवश्यक होते है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमो हेतु पर्याप्त संस्थागत ऋण प्रवाह बनाये रखने के लिए विशेष प्रयास किये जायेंगे।

रू. 01 करोड़ तक के समस्त ऋणों को क्रेडिट गारण्टी फण्ड (Credit Guarantee Fund) योजनान्तर्गत आच्छादित किये जाने हेतु बैंकों के साथ समन्वय किया जायेगा, ताकि उद्यमियों को ऋण के सापेक्ष कोलेटरल प्रतिभूति दिये जाने से मुक्त रखा जा सके। राज्य सरकार द्वारा पृथक से क्रेडिट गारण्टी फण्ड की भी स्थापना की जायेगी। भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय से राज्य सरकार के फण्ड को समानुपातिक गारण्टी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया है। महिलाओं द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु भारतीय महिला बैंक का समुचित सहयोग लिया जायेगा।

रुपये 05 लाख तक के पूंजी निवेश वाले सूक्ष्म उद्यमों (सेवा क्षेत्र सहित) के लिये बीमा योजना लागू की जायेगी, जिसका 75 प्रतिशत प्रीमियम सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

5.14 रूग्ण सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए पुनर्वास योजना:– उद्यमों को रूग्णता से बचाने के लिए प्रयास किये जायेंगे। रूग्ण इकाईयों का समय पर पुनरोद्धार किये जाने के प्रयास किये जायेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की रूग्ण इकाईयों के पुनरोद्धार हेतु गठित प्राधिकृत समिति (Empowered Committee) के सुझावों पर राज्य सरकार रूग्ण इकाईयों के नैदानिक अध्ययन (Diagnostic Study) के लिए सहायता प्रदान करेगी।

राज्य सरकार वित्तीय संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित कर रूग्ण इकाईयों के पुनरोद्धार एवं पुनर्वास के पैकेज को तैयार करेगी एवं लागू करने के लिए प्रयासरत रहेगी।

6- तकनीकी उन्नयन, गुणवत्ता प्रमाणन, शोध एवं विकास तथा तकनीकी सहायताः

6.1 मिनी टूल रूमः– राज्य सरकार प्रमुख उद्योग क्लस्टरों में भारत सरकार की राष्ट्रीय विनिर्माणक प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम (National Manufacturing Competitiveness Programme) के तहत मिनी टूल रूम की स्थापना करेगी। इसके अलावा राज्य सरकार अन्य औद्योगिक कलस्टर व औद्योगिक संगठनों द्वारा लाई गई मिनी टूल रूम परियोजनाओं को परियोजना लागत के 50 प्रतिशत (अधिकतम रू. 02 करोड़) की सहायता, मांग आधारित सामरिक स्थान पर स्थापित करने पर सहायता करेगी।

6.2 विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावाः– भारत सरकार की योजना राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (NMCP) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये आवश्यकतानुसार सहायता एवं सहयोग राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

- लीन मैन्यूफैक्चरिंग के लिये आवेदन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम।
- विनिर्माण क्षेत्र में सूचना एवं संचार तकनीकी को बढ़ावा देना।
- सूक्ष्म, लघु एव मध्यम उद्यमों को तकनीकी एवं गुणवत्ता उन्नयन के लिये सहायता।
- सूक्ष्म, लघु एव मध्यम उद्यमों को विनिर्माणक क्षेत्र में उद्यमशीलता एवं प्रबन्धकीय विकास के लिए सहायता।
- विनिर्माणक क्षेत्र में डिजाईन उत्कृष्टता के लिये डिजाईन क्लीनिक योजना।
- गुणवत्ता प्रबन्धन क्षमता (QMS) व गुणवत्ता तकनीकी साधन (QTT) के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र को प्रतिस्पर्धात्मक बनाना।
- बौद्धिक सम्पदा में निवेश हेतु राष्ट्रीय अभियान।
- मार्केटिंग सपोर्ट/सूक्ष्म, लघु एव मध्यम उद्यम क्षेत्र को सहायता।

6.3 ऊर्जा एवं जल संरक्षणः–

- किसी प्रतिष्ठित/मान्यता प्राप्त संस्थान से ऊर्जा एवं जल अंकेक्षण करवाने पर अंकेक्षण लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम रू. 50 हजार) तक का पुनर्भुगतान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को किया जायेगा।
- इकाईयों के संघ/क्लस्टरों को वरीयता दी जायेगी।
- 05 वर्ष की अवधि में ऊर्जा/जल दक्षता हेतु लगाये गये संयंत्रों की लागत का 20 प्रतिशत (अधिकतम रू. 10 लाख) तक सहायता दी जायेगी।

6.4 शोध एवं विकास संस्थानों को सहायताः–

- राज्य सरकार के सहयोग से स्थापित होने वाले शोध एवं विकास संस्थानों को उनकी मांग के अनुसार सहायता दी जायेगी, जिसमें नये शोध एवं विकास विकास संस्थान, जॉच सुविधायें, इन्क्यूबेटर सैन्टर इत्यादि भी शामिल होंगे। परियोजना लागत की 80 प्रतिशत तक सहायता उपलब्ध करायी जा सकेगी।
- पात्र गतिविधियों एवं सस्थानों का निर्धारण राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति (State Level Empowered Committee) द्वारा किया जायेगा।
- किसी औद्योगिक इकाई/औद्योगिक संगठन द्वारा किसी प्रतिष्ठित शोध एवं विकास संस्थान/एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त तकनीकी विद्यालय के माध्यम से प्रायोजित शोध कार्य के

लिये परियोजना लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम रू. 50 लाख) की सहायता की जायेंगी (इसमें भूमि एवं भवन की लागत सम्मिलित नहीं होंगी)।

6.5 जहॉ भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय अथवा किसी और मंत्रालय द्वारा एक ही प्रकार की योजनायें संचालित की जा रही हों, वहॉ यह प्रयास किया जायेगा कि पहले भारत सरकार की योजनाओं के अन्तर्गत सहायता प्राप्त की जाय। यदि भारत सरकार से सहायता न मिल पाये तो राज्य सरकार द्वारा नीति के अन्तर्गत प्राविधानित योजनाओं में सहायता दी जायेगी।

6.6 गुणवत्ता प्रमाणीकरणः– पात्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को 05 वर्ष की अवधि में अधिकतम 3 गुणवत्ता प्रमाणन के लिये, गुणवत्ता प्रमाणन की लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम रू. 06 लाख (पॉच वर्षो में) तक की सहायता दी जायेगी, प्रमाणीकरण लागत में निम्न अवयव शामिल होंगेः–

- प्रमाणीकरण एजेंसी द्वारा लिया गया शुल्क (परिवहन, रहने व सर्विलांस की सुविधा को छोड़कर)।
- जॉच उपकरणों की लागत।
- उपकरणों की जांच की लागत।
- प्रशिक्षण एवं परामर्श शुल्क (परिवहन, रहने व सर्विलांस को छोड़कर)।

6.7 श्रेष्ठ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को पुरूस्कारः– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमो को निम्न श्रेणियों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरूस्कार दिये जायेंगेः–

- उत्पादन व लाभ में वृद्धि।
- गुणवत्ता एवं पर्यावरण सुधार के उपाय।
- नये उत्पाद एवं प्रक्रिया विकास के लिये तकनीकी उन्नयन।
- उत्तराखण्ड से निर्यात संवर्द्धन करने वाली इकाईयां।

7– विपणन सहायता व निर्यात प्रोत्साहन

7.1 सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रय वरीयताः– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम–2006 के प्राविधानों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिये प्राख्यापित क्रय वरीयता नीति का प्रभावी कियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा, ताकि प्रदेश के सूक्ष्म व लघु उद्यमों, हस्तशिल्प, हथकरघा एवं खादी ग्रामोद्योग इकाईयों के उत्पादों को बढ़ावा मिले और स्थानीय कच्चे माल का सदुपयोग हो सके। इस नीति की समय–समय पर समीक्षा की जायेगी एवं आवश्यक आदेश जारी किये जायेंगे।

7.2 विपणन सहायता, सेमिनार एवं प्रदर्शनीः–

1) राज्य सरकार देहरादून, हरिद्वार तथा प्रदेश के प्रमुख स्थानों में आधुनिक प्रदर्शनी–व्यापार–सुविधा केन्द्र की स्थापना हेतु प्रयास करेगी, जिससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के उत्पादों का प्रदर्शन एवं प्रसार हो सके।
2) उत्पाद प्रदर्शन केन्द्र प्रत्येक जिला उद्योग केन्द्र एवं औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित किये जायेंगे।
3) स्थापित सूक्ष्म, लघु, हथकरघा एवं हस्तशिल्प, कुटीर एवं खादी ग्रामोद्योग इकाईयों द्वारा उत्पादित उत्पादों के विपणन के लिये प्रत्येक जनपद में मार्ट की स्थापना की जायेगी। देहरादून में परेड ग्राउण्ड, राज्य के अन्य प्रमुख शहरों/नगरों के रोडवेज बस स्टेशन, मेला भवन, हरिद्वार, उत्तराखण्ड सदन/भवन, नई दिल्ली में लघु मार्ट के लिये जगह की व्यवस्था की जायेगी। यूएचएचडीसी इन मार्टों के संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
4) राज्य सरकार, राज्य की पीएसयू एवं विभागों में विभागीय खरीद हेतु सूक्ष्म, लघु उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिये क्रय वरीयता नीति को प्रभावी रूप से लागू करेगी।
5) उद्यमों के क्लस्टरों को एक संयुक्त ब्राण्ड/बैनर के अन्तर्गत उनके उत्पादों के विपणन के लिये परियोजना संरचित करने में सहायता दी जायेगी।
6) हथकरघा/हस्तशिल्प व खादी उत्पादों सहित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के उत्पादों के विपणन एवं ई–विपणन हेतु प्रतिष्ठित फर्म्स्/संगठनों (जिन्हें इस कार्य का पर्याप्त अनुभव हो) को सहायता दी जायेगी।
7) उद्योग निदेशालय के अन्तर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिये संसाधन केन्द्र की स्थापना, प्रलेखन (Documentation) निर्माण में मार्गदर्शन हेतु भारत सरकार से समन्वय स्थापित किया जायेगा। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सहायता एवं अनुदान के लिये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संस्थान, भारत सरकार, से समन्वय स्थापित किया जायेगा।

7.2 किसी प्रतिष्ठित संस्थान से पैकेजिंग डिजाईन करवाने पर, लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम रू. 02 लाख) की सहायता सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को 05 वर्षो (पांच वर्षो) में एक बार प्राप्त होगी।

7.3 औद्योगिक संगठनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार/प्रदर्शनियों तथा अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार/प्रदर्शनियों के लिये वित्तीय सहायता दिये जाने पर आवश्यकतानुसार विचार किया जायेगा।

7.4 निर्यात संवर्द्धनः– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय के अन्तर्गत निर्यात सम्बन्धी सूचनाओं के प्रसार प्रकोष्ठ की स्थापना की जायेगी, जो निर्यात पर डाटाबेस निर्माण व निर्यात सवंर्द्धन पर योजनायें बनायेंगी व भारत निर्यात संगठन महासंघ, निर्यात सवंर्द्धन परिषद, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, EXIM बैंक व अन्य वित्तीय संस्थानों से समन्वय/सम्पर्क बनाये रखेंगी। सूक्ष्म, लघु एव मध्यम उद्यम विभाग के अधिकारियों एवं उद्यमियों के लिये निर्यात सवंर्द्धन, सुगमीकरण एवं प्रक्रिया सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

ऐसी इकाईयां, जो अपने उत्पादन के 75 प्रतिशत से अधिक का निर्यात करती हों, को 2 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त ब्याज उपादान (रू. 02 लाख प्रतिवर्ष) उपलब्ध कराया जायेगा। निर्यातक इकाईयों को निर्यात में विशेष योगदान हेतु पुरस्कार एवं सम्मान दिया जायेगा।

8- हथकरघा–हस्तशिल्प एवं खादी ग्रामोद्योग

8.1 हथकरघा–हस्तशिल्प एवं खादी ग्रामोद्योग मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों के परम्परागत व्यवसाय है और साथ ही बड़ी संख्या में राज्य के निवासियों को रोजगार एवं आजीविका प्रदान करते है। बुनकर एवं शिल्पकार अधिकांशतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्प संख्यक समुदाय एवं समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से सम्बन्ध रखते है। इन क्षेत्रों का उत्थान एवं विकास प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा।

8.2 खादी एवं ग्रामोद्योग के उत्थान के लिए उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड कार्यदायी एजेंसी है। बोर्ड की रोजगारपरक गतिविधियों को और अधिक विस्तारित किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा बोर्ड की व्यक्तिगत ब्याज उपादान योजनान्तर्गत परियोजना लागत सीमा रू. 02 लाख से बढ़ाकर रू. 05 लाख कर दी गई है। राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष 02 अक्टूबर से 108 कार्यदिवस तक खादी उत्पादों की बिक्री पर छूट के प्राविधान के माध्यम से खादी उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहन हेतु प्रतिबद्ध है।

8.3 खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन (KVIC) की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्य के खादी एवं ग्रामोद्योग को बढ़ावा दिया जायेगा।

8.4 राज्य में हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र के समग्र विकास के लिए उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद (यूएचएचडीसी) का गठन किया गया है। हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास सम्बन्धी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु यूएचएचडीसी को आवश्यक बजटीय सहायता दी जायेगी। राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार की हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में राज्य के अंश के रूप में योगदान कर यथोचित सहयोग प्रदान किया जायेगा।

8.5 भारत सरकार की व्यापक हथकरघा विकास योजनाओं (सीएचडीएस) जो कि हथकरघा क्षेत्र में कौशल उन्नयन, ऑन–लूम क्रियाकलापों के प्रौद्योगिकी उन्नयन, सहवर्ती उपकरण, विपणन प्रोत्साहन एवं धागे की उपलब्धता आदि प्रदान करती है, को भी राज्य सरकार सक्रिय रूप से क्रियान्वित करेगी। राज्य सरकार द्वारा एकीकृत हथकरघा विकास योजना के अन्तर्गत नौ (9) हथकरघा क्लस्टरों का संचालन राज्य में किया जा रहा है। इन क्लस्टरों के सतत् विकास के लिये आवश्यक सहायता यूएचएचडीसी के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी।

8.6 प्रदेश में जसपुर में टैक्सटाईल पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। इस पार्क में आधुनिक टैक्सटाईल उद्योगों को प्रोत्साहित किया जायेगा। इस पार्क के साथ राज्य के परम्परागत हथकरघा क्लस्टरों का लिंकेज स्थापित किया जायेगा। पर्वतीय क्षेत्रों में दो मिनी टैक्सटाईल पार्क स्थापित किये जायेंगे, जो स्थानीय ऊन, रेशम एवं प्राकृतिक रेशों पर आधारित यार्न एवं मूल्यवर्द्धित उत्पादों का निर्माण करेंगे। इन्हें तकनीकी, डिजाइन एवं फिनिसिंग में मुख्य टैक्सटाईल पार्क की सुविधायें उपलब्ध कराई जायेंगी।

8.7 उत्तराखण्ड में उत्तम गुणवत्तायुक्त ऊन, रेशम की विभिन्न किस्में तथा अन्य प्राकृतिक रेशों का प्रचुर उत्पादन होता है। इनसे खादी एवं हथकरघा बुनकरों को गुणवत्तायुक्त कच्चा माल प्राप्त होता है। ऊन सहित अन्य प्राकृतिक रेशों की गुणवत्ता एवं उपलब्धता में सुधार हेतु राष्ट्रीय ऊन बोर्ड, राष्ट्रीय रेशम बोर्ड, राज्य ऊन एवं शीप विकास बोर्ड, राज्य बांस एवं रेशा विकास परिषद तथा अन्य संस्थाओं से बेहतर समन्वय स्थापित किया जायेगा।

8.8 उत्तराखण्ड राज्य में प्राकृतिक रेशों जैसे रिंगाल, रामबांस एवं मोम, तांबा, काष्ठ आदि पर आधारित हस्तशिल्प उत्पादों के साथ ही ऐंपण जैसी अद्वितीय लोक कला की असीम विरासत है। ये हस्तशिल्प एवं हथकरघा क्षेत्र उत्तराखण्ड राज्य में कई परिवारों को आजीविका एवं आर्थिक निर्भरता प्रदान करते है।

8.9 यूएचएचडीसी द्वारा अपने उत्पादों हेतु ''हिमाद्रि'' को ट्रेडमार्क के रूप में पंजीकृत किया गया है। हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादों को ''हिमाद्रि'' एम्पोरियम के माध्यम से विपणन प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। इन हिमाद्रि एम्पोरियम को मुख्य पर्यटक स्थलों पर स्थापित किया जायेगा। साथ ही देश

के महत्वपूर्ण शहरों जहॉ उत्तराखण्ड भवन/उत्तराखण्ड निवास स्थित है, में भी हिमाद्रि एम्पोरियम को स्थापित किया जायेगा। राज्य सरकार प्रदेश के हथकरघा, हस्तशिल्प, खादी एवं स्थानीय उत्पादों को पर्यटन से जोड़कर प्रोत्साहित करने की दिशा में भी कार्य करेगी।

8.10 परम्परागत शिल्पों के पुनर्जीवीकरण, विकास एवं उन्नयन हेतु ''हरिराम टम्टा शिल्प उन्नयन संस्थान'' की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इस संस्थान को परम्परागत शिल्पों के उन्नयन के लिये एक उत्कृष्ठ स्तर के संस्थान के रूप में विकसित किया जायेगा। परम्परागत वाद्य यंत्रों, यथाः ढोल–दमाऊ, दैनिक उपयोग की विशिष्ट वस्तुओं, धार्मिक आयोजनों आदि के अवसर पर उपयोग होने वाले प्रतीक चिन्हों, कृषि यंत्रों आदि के निर्माण की विधियों का संरक्षण एवं पुनर्जीवीकरण आदि पर भी कार्य किया जायेगा।

8.11 परम्परागत शिल्पों एवं स्थानीय कच्चेमाल पर आधारित ''सोविनियर विकास'' को प्राथमिकता दी जायेगी। एन.आई.डी. एवं यूएचएचडीसी की संयुक्त परियोजना के अन्तर्गत शिल्प आधारित सोविनियर विकास योजना में डिजाईन नवीनीकरण की शुरूआत की गई है। इसके प्रथम चरण में चार पारम्परिक शिल्पों पर कार्य किया गया। यह परियोजना अन्य शिल्पों, नए डिजाईनों एवं उत्पादों के विकास को सम्मिलित करते हुए अगले 3 से 5 वर्ष की अवधि हेतु विस्तारित की जायेगी।

8.12 यूएचएचडीसी द्वारा प्रदर्शनी एवं अन्य विपणन कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा। साथ ही यूएचएचडीसी द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भी प्रतिभाग किया जायेगा। इसके अतिरिक्त हथकरघा, हस्तशिल्प एवं खादी उत्पादों के निर्यात के प्रोत्साहन हेतु भी प्रयास किये जायेंगे। राज्य के बुनकर एवं शिल्पियों को मेले एवं प्रदर्शनियों में प्रतिभाग के माध्यम से मार्केटिंग एक्सपोजर को बढ़ाये जाने के लिए उपयुक्त योजनाओं में संशोधन किया जायेगा। खादी एवं यूएचएचडीसी के विपणन अवसंरचना के संयुक्त उपयोग से हिमाद्री व खादी एम्पोरियम स्थापित करने के प्रयास किये जायेंगे। उपयुक्त स्थानों पर अरबन हाट की स्थापना की जायेगी।

8.13 यूएचएचडीसी द्वारा शिल्प उत्पादक ग्रामों को ''शिल्प ग्राम'' के रूप में विकसित करने का कार्य किया जायेगा। ये शिल्प ग्राम पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कर पर्यटन मानचित्र पर अंकित किए जायेंगे।

8.14 राज्य के विशिष्ट शिल्प एवं उत्पाद को बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के अन्तर्गत भौगोलिक संकेत (Geographical Indications) के रूप में पंजीकृत किये जायेंगे। विभिन्न शिल्पों का अभिलेखीकरण भी किया जायेगा।

8.15 यूएचएचडीसी के अन्तर्गत मास्टर क्राफ्टस्मैन/मास्टर बुनकर के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयाजित किये जायेंगे। साथ ही बुनकर एवं शिल्पियों की गणना भी की जायेगी, जिससे कि उनका विवरण एकीकृत कर यूएचएचडीसी द्वारा पहचान पत्र जारी किये जा सके। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सीमाओं की उपलब्धता के आधार पर पंजीकृत बुनकर एवं शिल्पियों के बच्चों के लिए पाठ्यपुस्तक एवं स्कूल बैग उपलब्ध कराये जायेंगे। यूएचएचडीसी द्वारा राज्य के अन्तर्गत एवं अन्य राज्यों में आयोजित होने वाले विभिन्न मेले एवं प्रदर्शनियों में प्रतिभाग करने हेतु बुनकर एवं शिल्पियों को यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता इत्यादि के रूप में वित्तीय सहायता भी प्रदान की जायेगी।

8.16 यूएचएचडीसी द्वारा विभिन्न टैक्सटाईल, डिजाइन, हस्तशिल्प, हथकरघा एवं इसी प्रकार के अन्य व्यवसायिक एवं विशिष्ट संस्थानों, जैसेः एनआईडी, आईआईसीटी, एनआईएफटी आदि के छात्रों के लिये इंटर्नशिप/प्रोजैक्ट/अध्ययन के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रायोजित किये जायेंगे।

9- नीति क्रियान्वयन हेतु नियंत्रण/निगरानी तंत्र

9.1 प्राधिकृत समिति (**Empowered Committee**):– राज्य सरकार की एक इम्पावर्ड कमेटी का गठन मा. मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में किया जायेगा, जिसमें निम्नानुसार उपाध्यक्ष, सचिव, सदस्य इत्यादि होंगे:–

मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।	अध्यक्ष
मा. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री, उत्तराखण्ड।	उपाध्यक्ष
मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/अवसंरचना विकास आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
प्रमुख सचिव/सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड।	सदस्य
प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, उत्तराखण्ड।	सदस्य
उपमहाप्रबन्धक, सिडबी, उत्तराखण्ड।	सदस्य
क्षेत्रीय महाप्रबन्धक, आरबीआई।	सदस्य
महाप्रबन्धक, एसबीआई/संयोजक एसएलबीसी, उत्तराखण्ड।	सदस्य
राज्य स्तरीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संघो से अधिकतम 03 सदस्य	सदस्य
प्रमुख सचिव/सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	सदस्य सचिव

9.2 समन्वय एवं अनुश्रवण समिति:– राज्य स्तर पर समन्वय एवं अनुश्रवण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समन्वय एवं अनुश्रवण समिति का गठन निम्नानुसार किया जायेगा:–

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।	अध्यक्ष
अपर मुख्य सचिव/अवसंरचना विकास आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।	उपाध्यक्ष
प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
प्रमुख सचिव/सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
आयुक्त वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड।	सदस्य
प्रबन्ध निदेशक, यूपीसीएल, उत्तराखण्ड।	सदस्य

प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, उत्तराखण्ड।	सदस्य
उपमहाप्रबन्धक, सिडबी	सदस्य
क्षेत्रीय महाप्रबन्धक, आरबीआई, उत्तराखण्ड।	सदस्य
महाप्रबन्धक, एसबीआई/संयोजक एसएलबीसी, उत्तराखण्ड।	सदस्य
राज्य स्तरीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संघो से अधिकतम 05 सदस्य	सदस्य
प्रमुख सचिव/सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	सदस्य सचिव
निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड।	सदस्य

9.3 प्राधिकृत समिति की बैठक 6 माह में एक बार एवं समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की बैठक त्रैमासिक आयोजित की जायेगी। उपरोक्त समितियॉ निम्न कार्यों हेतु प्राधिकृत होगीः–

- वर्तमान नीति के क्रियान्वयन की निरन्तर निगरानी एवं नियंत्रण।
- सरकारी विभागों व उपक्रमों द्वारा क्रय एवं मूल्य वरीयता नीति के अनुपालन की निगरानी/नियंत्रण।
    - i. एकल खिड़की व्यवस्था तथा जिला उद्योग मित्र की कार्यप्रणाली।
    - ii. सूक्ष्म, लघु उद्यम सुकरता परिषद की कार्यपद्धति।
    - iii. स्व–प्रमाणन प्रक्रिया के सरलीकरण की प्रगति।
- किसी संगठन के प्रमुख/सचिव को तत्सम्बन्धित प्रकरण/विषय पर होने वाले विचार–विमर्श हेतु निर्धारित की गई इम्पावर्ड कमेटी की बैठकों में आमंत्रित किया जा सकता है। इम्पावर्ड कमेटी प्रक्रिया सरलीकरण एवं उक्त नीति के प्राविधानों के प्रभाव एवं प्रयोजन के मूल्यांकन के उद्देश्य से तृपक्षीय विशेषज्ञ संगठन की सहायता ले सकती है।
- इम्पावर्ड कमेटी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से सम्बन्धित प्रकरणों जैसे वित्तीय श्रोतो की मांग एवं पूर्ति, अवसंरचनात्मक उत्पाद, केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजना व अन्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से सम्बन्धित वित्त एवं विकास सम्बन्धी मुद्दों पर आरबीआई, इम्पावर्ड कमेटी/एसएलबीसी द्वारा दिये गये निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी करेगी।
    - i. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की वित्तीय मॉग एवं आपूर्ति की समीक्षा–सकल एवं पर कैपीटा आधार पर।
    - ii. निजी एजेंसियो को औद्योगिक आस्थानों की स्थापना के लिये ऋण प्रवाह।
    - iii. क्रेडिट गारण्टी फण्ड ट्रस्ट योजना में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों का आच्छादन।
    - iv. राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा संचालित लाभार्थी उन्मुख एवं कलस्टर विकास योजना।
    - v. हथकरघा/हस्तशिल्प क्षेत्र में वित्तीय सहायता योजनायें।